न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 194 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अणदी पत्नि मांगीलाल		1.गोपालदास पुत्र सोनदास जाति संत
जाति भील निवासी पचपदरा		2.राजेशकुमार पुत्र सोनदास जाति संत
2.अशोक पुत्र शकरलाल		नाबालिग जरियें कुदरती वली माता
जति.भील निवासी कुडी भगतासनी		बदामीदेवी पत्नि सोनदास जाति संत
जोधपुर		3.बदामीदेवी पत्नि सोनदास जाति संत
		4.हीरोदेवी पत्नि कुनाराम जाति प्रजापत
		निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
		5.तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जेठूलाल कुमावत, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.श्री मुनीर अली पठान वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित।

3.विप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 22.09.2022

1.संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 682 क्षेत्रफल 7–03 बीघा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सडक के मध्य विप्रार्थी स.1 से 3 के खेत खसरा संख्या 678 व विप्रार्थी संख्या 04 के

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

खेत खसरा संख्या 679 भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 4 की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 4 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 4 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 678 व 679 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की तरफ से वकील श्री मुनीर अली पठान द्वारा वकलतनामा पेश किया और साथ ही जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बन्द किया। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट भू.अभिलेख निरीक्षक पचपदरा से तलब की गई।

3.उभयपक्ष अधिवक्ताओं की अंतिम बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 682 क्षेत्रफल 7–03 बीघा किस्म बा.अव्वल ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 3 व 4 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 678 व 679 भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 4 की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 4 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देता है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या हो जाती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 4 कदीमी रास्ते से

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

चलनें से रोकटोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की भू.अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा मौका जांच की गई और मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 4 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.वकील विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की बहस थी कि प्रार्थीगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ते की मांग की गई है,जो कि गलत मांग की है। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 साढे सात फीट व विप्रार्थी संख्या 04 भी अपने खेत से साढे सात फीट चौड़ा रास्ता देने के लिए सहमत है। लेकिन प्रार्थीगण की ओर 30 फीट रास्तें की गलत मांग की गई है। 30 फीट रास्ता देने से विप्रार्थी के खेत से जमीन ज्यादा जावेगी। जिसके कारण विप्रार्थी को आर्थिक नुकसान होगा। अतः में निवेदन किया कि विप्रार्थी पक्ष 30 फीट रास्ते के स्थान पर साढे सात फीट–साढे सात फीट कुल 15 फीट रास्ता देने के लिए सहमत है और उक्त 15 फीट राशि की क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण से विप्रार्थी पक्ष को दिलवाई जावें।

5.हमनें दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहखातेदारी खेत मौजा मंडापुरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 682 से होकर मुख्य सडक तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 678 व 679 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 28.6.2022 के द्वारा तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भू निरीक्षक पचपदरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिपोर्ट पत्र क्रमांक 19.7.2022 के द्वारा पेश की गई। जिसमे स्पष्ट अंकन किया कि मौजा मंडापुरा की खसरा संख्या 682 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 678 व 679 की मध्य माट से होकर गुजरना पड़ता है,और दोनों खसरों में से 15–15 फीट कुल 30 फीट रास्ता दिया जाना उचित बताया है,इससे स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नही है। इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थीगण को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। विप्रार्थी संख्या 01 से 4 की ओर से दोनो खसरों में 15–15 फीट कुल 30 फीट चौड़ा के स्थान पर दोनों खसरो में से साढे सात–साढे सात फीट कुल 15 फीट रास्ता देने के लिए सहमति दी गई। लेकिन यह तर्क मानने योग्य नही है,क्योकि मौका स्थिति के अनुसार ही 15–15 फीट कुल 30 फीट रास्ता प्रस्तावित किया है और उक्त प्रस्तावित रास्ता अनुसार ही आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 678 व 679 में 30 फीट चौड़ा (प्रत्येक खसरें में से 15–15 फीट) रास्ता दिये जाने पर प्रत्येक खसरें में से 0.0529 हैक्टयर कुल 0.1058 हैक्टयर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर राशि–175014/– प्रति बीघा है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है।, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडापुरा तहसील सिणधरी की विप्रार्थी संख्या 01 से 3 की सहखातेदारी खसरा संख्या 678 क्षेत्रफल 5.0700 हैक्टयर में चौडाई 15 फीट,रकबा 0.0529 हैक्टयर व विप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 679 क्षेत्रफल 8.0100 हैक्टयर भूमि में से चौडाई 15 फीट, रकबा 0.0529 हैक्टयर कुल रकबा 0.1058 हैक्टयर भूमि की मुआवजा राशि–1,46,426/–रूपयें मात्र भुगतान करते हुए मौका

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शा में हरा लाल रंग ———— दर्शाए अनुसार मौका नक्शा विभाजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 01 से 4 को संपूर्ण कुल राशि—146428/— अक्षरे एक लाख छियालीस हजार चार सौ अट्ठाईस रूपये तहसील कार्यालय पचपदरा में संधारित पी.एल.ए. खाता के जरिये राजकोष में जमा करवाने बाद पर तहसीलदार पचपदरा को आवश्यकतानुसार व प्रस्तावित नक्शानुसार रास्ते में आने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। भू अभिलेख निरीक्षक पचपदरा द्वारा दिनांक 19.7.2022 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

([illegible] सानी)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22·9·22 को लिखा जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा